न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—श्री मूलचन्द लूणिया (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 01/2020 दिनांकः—19.11.2020

1. नजीर खां पुत्र भजू खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम रोहलसाहबसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

..........प्रार्थी

बनाम

1. असगर खां पुत्र ताजू खां
2. अस्त अली खां भजू खां
3. गफुर खां पुत्र ताजू खां
4. नूरमोहम्मद खां पुत्र ताजू खां
5. पतासी बानों पत्नी ताजू खां
6. सन्नू खां पुत्र भजू खां
7. सुभान खां पुत्र ताजू खां समस्त जाति कायमखानी निवासी ग्राम रोहलसाहबसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
8. पटवारी पटवार हल्का रोहलसाहबसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
9. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
10. जिलाधीश महोदय सीकर।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन खाता अन्तर्गत धारा 136 रा.भू. अधिनियम

—:निर्णयः—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 261, 294, 43, 44, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 73 व 74 कुल किता 12 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर ग्राम साहबसर में अवस्थित है।

मुझ प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद उक्त पैतृत कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरकरण से खसरा नम्बर 261, 294, 43, 44, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 73 व 74 कुल किता 12 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर का भजू खां की बजाय ताजू खां, अस्त अली खां, निजू खां व सन्नू खां पिता भजू खां व ताजू खां की मृत्यु के बाद उनके वारिस असगर खां, गफुर खां, नूरमोहम्मद खां, पतासी बानो व सन्नू खां समस्त जाति कायमखानी के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ। उक्त विरासतन खातेदारी नामान्तरकरण में वादी का नाम निजू खां की बजाय वास्तविक नाम नजीर खां किया जाना था। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी का नाम नजीर के स्थान पर निजू खां दर्ज कर दिया। मुझ प्रार्थी के समस्त लोक दस्तावेजात यथा—राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. एवं अन्य सभी दस्तावेजात में सही नाम नजीर खां ही दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम साहबसर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 261, 294, 43, 44, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 73 व 74 कुल किता 12 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

निजू खां पुत्र भजू खां के स्थान पर नजीर खां पुत्र भजू खां का संशोधन किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 ता 10 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 01 असगर खां ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम नजीर खां ही है तथा प्रार्थी के नाम संशोधन बाबत् अनापति जाहिर की। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का नाम निजू खां के स्थान पर नजीर खां किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात यथा– जमाबंदी सम्वत 2074–77, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास–बुक्स, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजात पेश किये।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ग्राम साहबसर में अवस्थित पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 261, 294, 43, 44, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 73 व 74 कुल किता 12 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर में दर्ज निजू खां पुत्र भजू खां के स्थान पर नजीर खां पुत्र भजू खां का संशोधन किया जाना प्रार्थनीय है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा वोटर आई.डी., आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम नजीर खां पुत्र भजू खां ही दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वार प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र व तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से भी साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम नजीर खां पुत्र भजू खां है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम साहबसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 261, 294, 43, 44, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 73 व 74 कुल किता 12 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर में दर्ज निजू खां पुत्र भजू खां के स्थान पर नजीर खां पुत्र भजू खां का दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner